<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांकः 16.09.2020</u>

थाना अहमदगढ़ पर झूठा अभियोग पंजीकृत कराकर पुलिस को गुमराह करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.09.2020 को वादी रोहित कुमार पुत्र श्री कालूराम निवासी ग्राम उठरावली थाना अहमदगढ बुलन्दशहर द्वारा थाना अहमदगढ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी कि उसके गांव उठरावाली निवासी घूरेलाल पुत्र जालिम सिंह द्वारा अपने साले प्रवीन पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम बरोठा थाना हरदुआगंज अलीगढ व प्रवीन की बुआ के लडके लखमी पुत्र नामालूम निवासी मौ0 जाटवो वाला चंडौस अलीगढ के साथ मिलकर **मुकदमावादी रोहित व उसके भाई विकास, बहन अंजलि व मां श्रीमती गायत्री देवी के विरूद्ध** सजा दिलवाने के इरादे से धोखाधडी (जालसाजी) कर दिनांक 16.01.2020 को थाना अहमदगढ पर मु0अ0सं0-17/2020 धारा 366 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्त घूरेलाल उपरोक्त द्वारा समय-समय पर उच्चाधिकारियों के समक्ष पेश होकर झूठी जानकारी देते हुये बताया गयी कि उसकी लडकी (उम्र-20 वर्ष) की हत्या कर शव को कहीं छपा दिया है, परन्तु थाना अहमदगढ पुलिस उसकी लडकी को बरामद नही कर रही है और न ही नामजद अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर रही है।

प्रभारी निरीक्षक अहमदगढ़ श्री जयवीर सिंह द्वारा की विवेचना/कार्यवाही में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त घूरेलाल, लखमी व प्रवीण उपरोक्त द्वारा मिलकर युवती (उम्र-20 वर्ष) को स्वयं ही अभियुक्त लखमी के घर पर छिपाकर रखा गया और लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे है। इस सूचना पर आज दिनांक 16.09.2020 को उ0नि0 रामगोपाल मय पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्त लखमी के घर पर दबिश दी गयी तो युवती उसके घर से सकुशल बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.09.2020 को अभियुक्त घूरेलाल व लखमी को अभियुक्त लखमी के घर से समय करीब प्रातः 06.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता</u>

1. घूरेलाल पुत्र जालिम सिंह निवासी ग्राम उठरावली थाना अहमदगढ बुलन्दशहर।
2. लखमी पुत्र रामजीलाल निवासी जाटवो वाला मौ0 कस्बा व थाना चण्डौस जनपद अलीगढ।

उल्लेखनीय है कि मुकदमावादी रोहित और युवती(उम्र-20 वर्ष) दोनों एक ही गांव उठरावली के निवासी हैं। रोहित व युवती द्वारा करीब 01 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया गया था। विवाह के करीब 4-5 माह उपरांत दोनों के मध्य किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था तथा युवती अपने मायके वापस आ गई थी। इस कारण युवती के पिता घूरेलाल द्वारा युवती को कुछ दिन अपने साले प्रवीन के घर पर छिपाकर रखा गया तथा उसके बाद युवती को प्रवीन की बुआ के लडके अभियुक्त लखमी के घर पर छिपाकर रखा था तथा रोहित व उसके परिवारवालों को जेल भिजवाने के इरादे से थाना अहमदगढ़ पर झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त प्रवीण की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं

अभियक्तगण की गिरफ्तारी के संबध में थाना अहमदगढ पर मु0अ0सं0-205/20 धारा 211/419/420 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

1. श्री जयवीर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना अहमदगढ़।
2. का0 अमरदीप तोमर, म0का0 606 दिव्या